दिनांक 12.12.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई**

'आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने नस्ती एवं दस्तावेज को विलंब से व ठेकेदार के माध्यम से प्रस्तुत करने पर लेखा शाखा के कर्मचारी को थमाया नोटिस'

भिलाईनगर/ विदित हो कि दिनांक 4.12.2018 को आयुक्त सुंदरानी द्वारा नगर निगम भिलाई में कार्यरत समस्त विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी को विकास कार्य की विभिन्न नस्तियों शासकीय अभिलेख का ठेकेदार द्वारा स्वयं या शासकीय कर्मचारियों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा अभिलेख लेकर मुख्य आवक जावक में उपस्थित होने पर या पाए जाने पर संबंधित विभाग प्रमुख या जिम्मेदार /अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कारवाही किए जाने का आदेश जारी किया गया था । परंतु लेखा शाखा के कर्मचारी हरीश ओझा द्वारा वार्ड 12 कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में नाग मंदिर के सामने एवं पंप हाउस से कर्मा विद्यालय तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य की नस्ती को 5 महीने विलंब से प्रस्तुत किया गया साथ ही आयुक्त के आदेश की अवहेलना करते हुए ठेकेदार के माध्यम से नस्ती आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई।

आयुक्त सुंदरानी ने निगम कर्मचारी ओझा को दिए गए कारण बताओ नोटिस मे उल्लेख किया है कि गैर व्यक्ति को महत्वपूर्ण नस्ती दीया जाकर दिए गए निर्देश की अवहेलना की गई है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के नियम 1, 2, 3 के विपरीत है अतः पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर कारण बतावे की दिनांक 20:6:2018 को लेखा शाखा में प्रेषित नस्ती को 5 माह विलंब से प्रस्तुत किया गया और विभाग प्रमुख लेखा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के उल्लंघन करने के कारण क्यों न एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक दिया जाए। समयावधि में समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने का जिक्र दिए गए नोटिस में किया गया है।

जनसम्पर्क अधिकारी